



# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

## JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

### वर्ग आठ एवं नवम् परीक्षा, 2020 के आन्तरिक मूल्यांकन के संबंध में आवश्यक सूचना

**विज्ञप्ति संख्या - 03/2020**

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या 78/2019 एवं 80/2019 के क्रम में झारखण्ड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2893 दिनांक 27.11.2019 के निदेशानुसार कक्षा आठ एवं नवम् की परीक्षा में विषयवार आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इस हेतु परिषद् के वेबसाइट पर सादा अंक पत्रक (Format) जारी किया गया था एवं सूचित किया गया था कि परिषद् द्वारा आवंटित रोल नं. को अंक पत्रक में अंकित करते हुए संबंधित छात्र-छात्राओं के आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि करेंगे तथा इसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि परिषद् के वेबसाइट [www.jac.jharkhand.gov.in](http://www.jac.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध दिशा-निदेश के अनुरूप निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

| क्र.सं. | वर्ग              | आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि की तिथि | समेकित विवरणी (Consolidated Statement) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.     | कक्षा आठ के लिए   | दिनांक 05.02.2020 से 15.02.2020 तक              | दिनांक 18.02.2020 तक                                                                              |
| 02.     | कक्षा नवम् के लिए | दिनांक 05.02.2020 से 15.02.2020 तक              | दिनांक 18.02.2020 तक                                                                              |

सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है कि आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार करते हुए ससमय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समेकित विवरणी (Consolidated statement) समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यातव्य हो कि परीक्षाफल का प्रकाशन आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों को समाहित कर प्रकाशित किया जाना है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में आन्तरिक मूल्यांकन से संबंधित अंक पत्रक स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/4364/19-SECY/49/20

Dt. 04.02.2020

D.O.P: 05.02.2020